

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: रा.वि./सेवा-सेतु/2026/ 7592

भोपाल, दिनांक : 24/09/2026

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त, नगर पालिका/ नगर निगम/ नगर पालिका परिषद, मध्यप्रदेश ।

विषय: "सेवा सेतु अभियान - सरकार आपके द्वार" (दिनांक 03 एवं 04 अक्टूबर, 2026) के सफल, सुव्यवस्थित एवं परिणाममूलक आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश।

--००--

राज्य शासन द्वारा नागरिकों को पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी एवं समयबद्ध लोक सेवाएँ सीधे उनके गाँव व वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 03 अक्टूबर 2026 - ब्लॉक स्तर पर एवं 04 अक्टूबर 2026 - नगरीय क्षेत्र में प्रदेशव्यापी "सेवा सेतु अभियान - सरकार आपके द्वार" का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में चल रहे व्यापक 'सेवा संकल्प अभियान' (17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय घटक है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर कृषकों, ग्रामीणजनों, श्रमिकों, महिलाओं, वंचितों और कमजोर वर्गों को शासकीय कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की विवशता से पूर्णतः मुक्त करना है। अभियान की अवधि में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में ग्रामीण स्तर पर तथा प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्ड/जोनवार विशाल 'मेगा सेवा सेतु शिविरों' का आयोजन किया जाएगा, जहाँ केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा राजस्व विभाग की नागरिक सेवाओं के लाभ मौके पर ही (On-the-spot) स्वीकृत/ प्रदाय किए जाएंगे। इस अभियान को 'जन-विश्वास अभियान' के साथ भी संबद्ध किया गया है, ताकि जनता के बीच सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही के विश्वास का सेतु स्थापित हो सके।

1. अभियान की समयावधि एवं शिविर का आयोजन:

- A. आयोजन दिनांक : (1) 03 अक्टूबर 2026, शनिवार - ब्लॉक स्तर
(2) 04 अक्टूबर 2026, रविवार - नगरीय क्षेत्र
- B. आयोजन का समय : प्रातः 11:00 से सायं 4:00 बजे तक
- C. आयोजन का स्थान :
 - a. ग्रामीण क्षेत्र: प्रत्येक जिले के समस्त विकासखंडों में

- b. **नगरीय क्षेत्र:** (1) नगर पालिक निगम में जोनवार
(2) नगर पालिका
(3) नगर परिषद

- D. **सहयोगी विभाग** - लोक सेवा प्रबंधन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
E. **स्थान का चयन** : शिविर स्थल का चयन सार्वजनिक एवं सुलभ स्थानों (जैसे- उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण, जनपद पंचायत परिसर, सामुदायिक भवन या खेल मैदान) पर किया जाए, जहाँ पर्याप्त खुली जगह, पेयजल, छाया तथा आवागमन की सुगम सुविधा हो।
F. **प्रभारी/ नोडल अधिकारी** : कलेक्टर जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो जिला स्तर पर कार्य का समन्वय करेंगे। कैंप के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिये सहायक अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर से की जायेगी जिसके नाम एवं मोबाइल नंबर की सूची आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

कैम्प स्थल	प्रभारी अधिकारी (पदेन)
विकासखण्ड स्तर पर कैम्प	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
नगर पंचायत/ परिषद	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम जोनल कार्यालय	जोनल अधिकारी नगर निगम

G. **प्रमुख कार्य :**

- पूर्व से योजना का लाभ प्राप्त किये जाने वाले हितग्राहियों को सूचिबद्ध करना।
- शेष पात्र हितग्राहियों को सूचिबद्ध करना।
- शेष पात्र हितग्राहियों को शासन द्वारा दिये गए वार्षिक टारगेट अनुसार कैंप में ही लाभ देना।
- टारगेटेड योजनाओं में वार्षिक टारगेट से शेष रहे हितग्राहियों को क्रमबद्ध तरीके से लाभ प्रदाय किया जाना।
- **रजिस्ट्रेशन** - कैंप में आने वाले हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन किया जाये इसके लिए पृथक से 03 स्टॉल लगाये जायें जिसमें दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किये जायें।
- **स्टॉल पर अधिकारी/ कर्मचारी की उपस्थिति** - केम्प प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी स्टॉल पर उपस्थित रहे।

यदि ब्लॉक स्तर पर विभागीय अधिकारी पदस्थ नहीं है तब कलेक्टर अपने स्तर से अधिकारी को कैंप हेतु नियुक्त करेंगे।

2. **अंतर-विभागीय समन्वय एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की ऑन-स्पॉट डिलीवरी**

शिविर में राजस्व विभाग नोडल की भूमिका निभाते हुए अन्य प्रमुख विभागों के समन्वय से संलग्न सूची अनुसार योजनाओं के लाभ मौके पर प्रदान कराएगा :

3. **स्वास्थ्य शिविर का आयोजन** - प्रत्येक कैंप पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाये।

4. प्रदर्शनी का आयोजन - कैम्प स्थल पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मिलित किया जाये।

5. शिविर अधोसंरचना, व्यवस्था (Infrastructure SOP)

शिविरों का संचालन निर्धारित मानक कार्य-विभाजन (Scope of Work) के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। स्टॉल स्थापना, बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थाएँ स्थानीय निकायों यथा जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिक एवं नगर परिषद के द्वारा की जायेंगी।

कैम्प / इन्फ्रास्ट्रक्चर :

- I. **स्टॉल्स की स्थापना:** विभिन्न विभागों की सेवाओं हेतु न्यूनतम 25 सुसज्जित स्टॉल्स का निर्माण।
- II. **एकरूपता** - पूरे शिविर परिसर, स्वागत द्वार एवं दीवारों की एकरूप थीम।
- III. **मंच व्यवस्था:** मुख्य अतिथियों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बैठने एवं संबोधन हेतु मंच तैयार करना।
- IV. **साउंड एवं लाइटिंग:** उत्कृष्ट साउंड सिस्टम, स्टेज लाइटिंग तथा संपूर्ण परिसर में जनरल लाइटिंग की व्यवस्था।
- V. **बैठक व्यवस्था:** नागरिकों व अधिकारियों के लिए पर्याप्त टेबल एवं कुर्सियों की व्यवस्था।
- VI. **सेल्फी प्वाइंट्स** योजना-आधारित सेल्फी पॉइंट्स का निर्माण।
- VII. **कंट्रोल रूम:** वास्तविक समय निगरानी, रिपोर्टिंग एवं तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम की स्थापना।
- VIII. **समन्वय:** मंत्रालयों, विभागों, स्थानीय अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय।
- IX. **स्थल चयन एवं आवंटन:** शिविर हेतु उपयुक्त, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक स्थल का चिन्हांकन आवंटन।
- X. **विद्युत आपूर्ति:** शिविर अवधि में निर्बाध विद्युत कनेक्शन (Uninterrupted Power Supply) और बैकअप जनरेटर की व्यवस्था।
- XI. **कम्प्यूटर - इन्टरनेट** की व्यवस्था।
- XII. **पेयजल व्यवस्था:** उपस्थित नागरिकों, हितग्राहियों एवं स्टाफ हेतु शीतल व स्वच्छ पेयजल तथा सामान्य उपयोग के पानी की व्यवस्था।
- XIII. **अस्थायी/बायो-टॉयलेट्स:** सक्षम प्राधिकारी / नगरीय निकाय / PWD के माध्यम से पोर्टेबल बायो-टॉयलेट्स (महिला एवं पुरुष हेतु पृथक पृथक) की व्यवस्था।
- XIV. **सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था:** पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा कर्मी, भीड़ प्रबंधन, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था।
- XV. **साफ-सफाई:** नगर पालिक निगम / नगर पालिका / ग्राम पंचायत के माध्यम से निरंतर साफ-सफाई हेतु स्वच्छता कर्मियों की तैनाती।

XVI. **स्थानीय अनुमतिyaँ एवं समन्वय:** समस्त स्थानीय अनुमतिyaँ, अंतर-विभागीय समन्वय एवं नोडल अधिकारियों की तैनाती।

6. **पोर्टल पर प्रविष्टि एवं समीक्षा:**

- A. **दैनिक पोर्टल रिपोर्टिंग:** प्रत्येक शिविर में कुल प्राप्त आवेदन, मौके पर स्वीकृत आवेदन, लंबित आवेदन एवं वितरित हितलाभों की संख्यात्मक जानकारी अधिकृत राज्य पोर्टल पर प्रतिदिन शाम 6:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रविष्ट की जाएगी।
- B. **सफलता की कहानियाँ:** शिविरों के माध्यम से यदि किसी पीड़ित, किसान अथवा निर्धन नागरिक की वर्षों पुरानी समस्या का मौके पर समाधान हुआ हो, तो उसके फोटोग्राफ, संक्षिप्त वीडियो एवं सफलता की कहानी संकलित कर आयुक्त, भू संसाधन प्रबंधन कार्यालय, मध्यप्रदेश तथा जनसंपर्क संचालनालय को भेजी जाए।

7. **समय-सीमा निर्देश:**

- A. **कार्ययोजना एवं कैलेंडर जारी करना:** समस्त जिला कलेक्टर अपने जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव से परामर्श कर विकासखंडवार व जोनवार विस्तृत शिविर कैलेंडर को सार्वजनिक करेंगे।
- B. **प्रचार-प्रसार:** दैनिक समाचार पत्रों, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी, कोटवारों द्वारा उद्घोषणा, लाउडस्पीकर एवं दीवार लेखन के माध्यम से आमजन को शिविर की तिथि व स्थान की पूर्व सूचना दी जाए।
- उक्त निर्देशों पालन सुनिश्चित किया जाए।

Digitally signed by
Eathakota Ramesh Kumar
Date: 24-09-2026
14:15:56

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक: 24/09/2026

पृ. क्रमांक: रा.वि./सेवा-सेतु/2026//7593
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 2. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन।
 3. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण, म.प्र. शासन।
 4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, समस्त विभाग, मध्यप्रदेश।
 6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
 7. प्रभारी अधिकारी, आईटी सेक्शन, CLRM कार्यालय भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

योजनाओं की सूची

क्र	विभाग	योजना का नाम
1	राजस्व विभाग	- स्वामित्व योजना - स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 - सभी पात्र किसानों की फार्मर आई.डी निर्माण। - अविवादित नामांतरण/ बंटवारा/ सीमांकन - समाधान एक दिवसीय योजना - आय प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र/ खसरा/ नक्शा आदि। - बी.पी.एल. - C.M. Helpline अंतर्गत शिकायतों का मौके पर निराकरण।
2	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)
4	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) - रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए ऋण/आवेदन में सहायता एवं अन्य योजनाएँ।
5	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) - राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी/ई-केवाईसी/स्थिति से संबंधित सहायता
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा - पीएमईजीपी (PMEGP) - स्वरोजगार/सूक्ष्म उद्यमों के लिए सहायता
7	कृषि और किसान कल्याण विभाग	- प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना - मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना - पीएम प्रणाम (PM PRANAM) - नैनो उर्वरक - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
8	मत्स्य पालन विभाग	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	- जल जीवन मिशन - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना / नल-जल योजना
11	वित्त विभाग	- जन धन योजना - जीवन ज्योति बीमा योजना - सुरक्षा बीमा योजना - अटल पेंशन योजना

12	श्रम विभाग	- ई-श्रम - यूएन (UAN) / ई-श्रम कार्ड पंजीकरण - नेशनल करियर सर्विस (NCS) - जॉब सीकर पंजीकरण / जॉब मैचिंग - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) - पेंशन पंजीकरण - संबल योजना
13	कौशल विकास और उद्यमिता विभाग	पीएमकेवीवाई (PMKVY) / स्किल इंडिया - कौशल प्रशिक्षण के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण
14	ग्रामीण विकास विभाग	रोजगार पंजीकरण / जॉब कार्ड और रोजगार की मांग
15	उर्जा विभाग	पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना - आवेदन में सहायता
16	महिला एवं बाल विकास विभाग	- मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना - मुख्यमंत्री लाइली लक्ष्मी योजना - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) - लालिमा अभियान (Lalima Yojana) - प्रधानमंत्री पोषण अभियान
17	सामाजिक न्याय विभाग	- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना - वृद्धावस्था पेंशन - कल्याणी पेंशन - दिव्यांग पेंशन - राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्य योजनाएँ।
18	स्कूल शिक्षा विभाग	- गांव की बेटी योजना - मुख्यमंत्री स्कूटी योजना (फ्री ई-स्कूटी योजना) - विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं - उदिता योजना एवं अन्य योजनाएँ।

आदिवासी जिलों के लिए अतिरिक्त फोकस योजनाएं :

- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन
- छात्रवृत्ति योजनाएं
- वन अधिकार स्वामित्व: व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि
- वन धन विकास केंद्र: स्व-सहायता समूहों का संगठन

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग